डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 तथा इस सम्बन्ध में कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 24 अप्रैल, 2021 को संपन्न एन0ई0पी0-टास्क फोर्स की उपसमिति की बैठक की जारी की गयी कार्यवृत्त के आधार पर शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश सम्बन्धी तथा अन्य सम्बंधित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में प्रथम/मानक गाइडलाइन जारी की जा रही है। आवश्यकता के दृष्टिगत भविष्य में इस गाइडलाइन का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है।

1. उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्राविधानों के आलोक में उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त **संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनांकः 20 अप्रैल, 2021** में प्रदान किये गए निर्देशों को शैक्षिक सत्र 2021-22 से विश्वविद्यालय के समस्त स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेशिका स्तर (प्रथम सेमेस्टर) से क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 24 अप्रैल, 2021 को संपन्न एन0ई0पी0-टास्क फोर्स की उपसमिति की बैठक में निर्णय लेते हुए सम्बन्धित कार्यवृत्त सार्वजानिक की जा चुकी है.
2. NEP-2020 से सम्बन्धित उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा निर्देशित यह नए नियम सत्र 2021-22 में स्नातक स्तर पर प्रवेशित छात्रों से ही लागू होंगें. स्नातक/परास्नातक के समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2020-21 तक प्रवेशित छात्रों पर उनके उपाधि प्राप्त करने तक यह नए नियम लागू नहीं होंगे.
3. प्रवेश की व्यवस्था –
    - सर्वप्रथम विद्यार्थी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के अपने संकाय का चुनाव स्नातक स्तर पर अपने प्रथम प्रवेश पर ही करेगा।
    - विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों/नियमों के आलोक में विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में प्रवेश देगा।
    - विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों का चुनाव करेगा, जिसमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है।

- इसके उपरान्त विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर हेतु एक माइनर विषय किसी दूसरे विभाग/संकाय से लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय आवंटित किया जायेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक रोजगार परक पाठ्यक्रम लेना होगा।

4. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सार्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी।
- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर पुनः प्रवेश ले सकेगा।
- Prerequisite के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी।

5. डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि

- विद्यार्थी जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको तदनुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ़ लिबरल एजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Prerequisite की आवश्यकता नहीं हागी।

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट आनलाईन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड़ सकेंगे। यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे।
- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय के अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है।

- यदि कोई योग्य छात्र कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष के बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा।
- विद्यार्थी को कोर्स के आधार पर पंजीकरण की सुविधा प्राप्त होगी, जिस आधार पर वे किसी एक कोर्स को अध्ययन कर सकेंगे।
- अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा। एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात् वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।

7. परीक्षा व्यवस्था

- सभी विषयों के प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी।
- सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा बहु विकल्पीय आधार पर होगी।

8. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ, प्रबंधन, कृषि तथा विधि संकायों पर लागू होंगी. तद्क्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान देना होगा -
   - स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के 46 क्रेडिट होंगे जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है।
   - द्वितीय वर्ष के 92 क्रेडिट होंगे जिसमें तीन प्रमुख विषय एक माइनर विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर डिप्लोगा प्रदान किया जायेगा।
   - तृतीय वर्ष के 138 क्रेडिट होंगे जिसमें दो प्रमुख विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिस उत्तीर्ण करने पर स्नातक की डिग्री प्रदान की जायेगी।
   - चौथे वर्ष के 194 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा दो प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध के साथ स्नातक की उपाधि प्रदान की जायेगी।
   - पांचवे वर्ष के 246 क्रेडिट होंगे, जिसमें एक प्रमुख विषय एवं दो प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी, जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त मास्टर डिग्री प्रदान की जायेगी।

- छठे वर्ष के 270 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक अनुसंधान पद्धति एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी, जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त Post Graduate Diploma in Research प्रदान किया जा सकता है।
- प्राथमिकता के आधार पर सातवें और आठवें वर्ष में (अन्यथा की स्थिति में उसके आगे के वर्षों में) अनुसंधान सम्बन्धी Research Thesis जमा करना होगा जिसके evaluation के उपरान्त सफल घोषित किये जाने की संस्तुति के आधार पर पी-एच0डी0 की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्राविधानों के आलोक में उच्च-शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित समान पाठ्यक्रम यथावत अथवा 30% की अनुमन्य सीमा तक संशोधन के साथ बोर्ड ऑफ़ स्टडीज के माध्यम से अंगीकार किया जाना है।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर मे प्रत्येक सेमेस्टर के प्रश्पत्रों के शीर्षक वही होंगे जो उच्च-शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित समान पाठ्यक्रम के लिए प्रस्तावित हैं।
- यूनिफार्म क्रेडिट और ग्रेड़िग सिस्टम का निर्धारण इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।
- प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाएगी।
- स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षो में कौशल-विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अधययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को समन्वय स्थापित करना होगा।

9. माइनर/इलेक्टिव विषय का चयन:

- माइनर विषय का स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए चयन अहर्ता के आधार पर किया जाना है. चूँकि यह पाठ्यक्रम दूसरे विभाग/संकाय से चयनित किया जाना है, अतः, यह पाठ्यक्रम उस विभाग का नियमित पाठ्यक्रम ही होगा. उदाहरण स्वरुप - विज्ञान का छात्र विज्ञान संकाय से 03 मेजर कोर्स चयनित करने के बाद 01 माइनर कोर्स 'इंडियन कांस्टिट्यूशन', जो कला संकाय के राजनीति शास्त्र पाठ्यक्रम/विभाग का विषय है अथवा 'मॉडर्न हिस्ट्री', जो कला संकाय के इतिहास पाठ्यक्रम/विभाग का विषय है, चयनित कर सकता है. सामान छात्र यदि 03 मेजर कोर्स विज्ञान संकाय से चयनित कर चुका है तो वह 01 माइनर विषय विज्ञान संकाय के दूसरे विभाग से भी चयनित कर सकता है.
- स्नातक स्तर पर विषयों के चयन में pre-requisite का विशेष रूप से ध्यान रखना है.

- स्नातक प्रथम सेमेस्टर में छात्र जिस विषय को माइनर के रूप में चयनित करेगा, उसका अध्ययन वह प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर में करेगा. चयनित माइनर विषय की परीक्षा दूसरे सेमेस्टर में होगी. सामान व्यवस्था द्वितीय वर्ष के लिए भी जारी रहेगी.
- प्रवेश प्रक्रिया के समय छात्र द्वारा इंटरमीडिएट के विषय वर्ग (यथा- कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कृषि वर्ग, व्यावसायिक वर्ग) के साथ उसके द्वारा इन्टर में चयनित विषय (यथा- विज्ञान वर्ग के लिए विषय समूह 1-गणित, भौतिकी, रसायन; 2-रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान; 3-गणित, भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान इत्यादि) को ध्यान में रखते हुए माइनर/इलेक्टिव विषय के चयन की सुविधा प्रदान की जाएगी.
- इंटरमीडिएट में विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कृषि वर्ग, व्यावसायिक वर्ग के विषय के साथ अध्ययन करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला वर्ग के विषय माइनर/इलेक्टिव के रूप में चयनित कर सकता है, किन्तु कला, वाणिज्य वर्ग, कृषि वर्ग, व्यावसायिक वर्ग से इन्टर करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग के विषय माइनर/इलेक्टिव के रूप में नहीं ले सकता है.
- शासन द्वारा सन्दर्भित प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम में यह अंकित है की सम्बंधित प्रश्नपत्र को कौन से छात्र माइनर के रूप में ले सकते है. तथापि सुविधा हेतु विश्वविद्यालय स्तर से भी सम्बन्धित इंडेक्स जारी किया जा रहा है -

10.Pre-requisite के आधार पर स्नातक प्रथम-सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय-वर्ग/संकाय के लिए अहर्ता:

- विज्ञान वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय तथा वाणिज्य संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा.
- कला वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने इंटरमीडिएट स्तर पर कला वर्ग के अंतर्गत अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय लिया था तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा.
- वाणिज्य वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा.
- कृषि वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कृषि संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा.
- व्यावसायिक वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा.

11. कला संकाय के पाठ्यक्रमों हेतु विषय-संयोजन:

- कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय चयन के सन्दर्भ में subject combination (विषय-संयोजन) की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी.

12. अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम (Co-curricular)

स्नातक स्तर पर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत होगा -

- **प्रथम सेमेस्टर:** संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication Skill and Personality Development)
- **द्वितीय सेमेस्टर:** विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytic Ability and Digital Awareness)
- **तृतीय सेमेस्टर:** शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)
- **चतुर्थ सेमेस्टर:** मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)
- **पंचम सेमेस्टर:** खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)
- **षष्ठम सेमेस्टर:** प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid and Health)
- स्नातक स्तर के अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जाएगी.

13. कौशल-विकास (Vocational) के पाठ्यक्रम:

- कौशल-विकास सम्बन्धी पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में महाविद्यालयों के स्तर पर उच्च-शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 602/सत्तर-3-2021-08(35)/2020 दिनांक 22 फरवरी 2021 के अनुक्रम में कार्यवाही अपेक्षित है.
- कौशल-विकास के सम्बन्ध में महाविद्यालय उपरोक्त संदर्भित पत्र में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त जिले के पॉलिटेक्निक अथवा आई0टी0आई0 से भी अनुबन्ध पत्र (MoU) हस्ताक्षरित कर सकते है.
- शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त महाविद्यालयों से यह भी अपेक्षा है कि अपने परिसर में न्यूनतम एक विशेषज्ञता युक्त कौशल-विकास (Skill Development) का क्लस्टर (Cluster) विकसित करें और छात्रों को इसका व्यापक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अपने निकट के महाविद्यालय से कौशल-विकास के सम्बन्ध में MoU (अनुबन्ध पत्र) हस्ताक्षरित करें, जिसमें कार्यक्रम संचालन की क्रियाविधि (Mode of Operation) स्पष्टता के साथ अंकित हो.
- चूँकि कौशल-विकास (Skill Development)/ वोकेशनल कार्यक्रम के संचालन हेतु महाविद्यालय को शासन स्तर से किसी प्रकार का अनुदान प्रदान नहीं किया जा रहा है अतः

महाविद्यालय इस सम्बन्ध में आवश्यक संसाधन के आंकलन के उपरान्त कौशल-विकास से सम्बंधित प्रशिक्षण का शुल्क-निर्धारण No-profit-No-Loss के आधार पर अपने स्तर से करें.

- यद्यपि महाविद्यालय को स्थानीय आवश्यकता और कॉर्पोरेट-सेक्टर की मांग के अनुरूप कौशल-विकास प्रशिक्षण से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का निर्धारण अपने स्तर से करने की स्वतंत्रता है, तथापि सुविधा हेतु वोकेशनल कार्यक्रमों की सन्दर्भ सूची निम्नवत दी जा रही है - Fashion Designing, Tailoring and Embroidery, Photography and Videography, Financial Management, Information Technology, Yoga, Computer Application, Tourism & Hospitality, Medical Laboratory Technology, Ophthalmic Technician, Multipurpose Health Worker (Female), Automobile, Food Processing, Carpentry, Electrician, Plumbing, Web designing, Bakery and Confectionery, Stenography (Hindi & English), Typewriting (Hindi and English), Accountancy and Auditing, Horticulture, Foreign Language, Event Management, Pottery, Banking and Finance, Beautician, Clinical Psychology, Cookery, House Keeping, Journalism & Mass Communication, Disaster Management, Physical Fitness and Gym trainer, Handicraft, Jewelry Design, Marketing & Salesmanship, Legal Services Assistance, Physiotherapy Technician, Interior Design and Decoration, Crop Production and Management, Fisheries, Dairying, Sericulture, Refrigeration & Air Conditioning, Hospital and Health Care Management.

14. **'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 जिला समन्वयक समिति'**:

- 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया के सरलीकरण, प्रत्येक महाविद्यालय तक सूचनाओं के समुचित आदान-प्रदान, तद्संबंध में समस्याओं के त्वरित निदान और सम्पूर्ण प्रक्रिया पर निगरानी के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर एन0ई0पी0-टास्क फोर्स और सम्बद्धता परिक्षेत्र के प्रत्येक जिले में "एन0ई0पी0 2020 जिला समन्वय समिति" का गठन किया गया है. विश्वविद्यालय स्तर पर गठित एन0ई0पी0-टास्क फोर्स में सम्बद्धता परिक्षेत्र के 07 जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे प्राचार्य-गण सम्बन्धित जिले के सन्दर्भ में "एन0ई0पी0 2020 जिला समन्वय समिति" के अध्यक्ष नियुक्त किये गए है।

15. परीक्षा शुल्क:

- 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया में वर्तमान में वार्षिक आधार पर संचालित समस्त पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 से प्रारम्भ करते हुए अगले 05 वर्षों में सेमेस्टर प्रणाली में परिवर्तित हो जायेंगे. इस कारण सत्र 2021-22 में स्नातक प्रथम वर्ष से प्रारंभ कर क्रमागत वर्षों में सम्बंधित पाठ्यक्रमों की वर्ष में दो बार परीक्षाएं संपन्न करानी होंगी, अतः अन्य सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा से पूर्व परीक्षा-शुल्क जमा कराये जाने के व्यवस्था तद्सम्बंध में भी जारी रहेगी.